अनुदान संख्या 66 – खान मंत्रालय
GRANT No. 66- MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*10,00*	*7,51*	*-2,49*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,38*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	628,76,00	659,85,00	652,35,59	-7,49,41
पूरक	Supplementary	31,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,03,43
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	69,58,00	149,05,00	146,24,54	-2,80,46
पूरक	Supplementary	79,47,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,98,85

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹749.41 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹3109.00 लाख के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹749.41 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grants of ₹3109.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	2028.00		1849.71	1722.43	-127.28
पु.	R.	-178.29				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	1825.00		..	..	..
पु.	R.	-1825.00				
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"					
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries					
मू.	O.	59023.00				
पू.	S.	3109.00		63831.86	63513.16	-318.70
पु.	R.	1699.86				

(I) ₹1921.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1640.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध दिए गए:-

(का) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - ₹1320.00 लाख;

(खा) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - अन्य व्यय - विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय" - ₹135.00 लाख; और

(गा) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - ₹185.00 लाख।

(I) Provision of ₹1921.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹1640.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India – Direction and Administration - Administrative Support" – ₹1320.00 lakhs;

(B) "Geological Survey of India – Other Expenditure - Miscellaneous Major Expenditure on different Operations" – ₹135.00 lakhs; and

(C) "Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines"– ₹185.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खान मंत्रालय" के अंतर्गत ₹305.57 लाख की बचत (₹2028.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक मामले कम होने, अवैध खनन के लिए जांच आयोग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Ministry of Mines" – saving of ₹305.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2028.00 lakhs) was due to less court cases, requirement of less funds by Commission of Inquiry for illegal mining and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2853" – savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - अन्य व्यय - विभिन्न प्रचलनों पर विविध मुख्य व्यय" - ₹381.54 लाख की बचत (₹2199.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों के बिलों को अधिमानता न दिए जाने और इंटरनेट प्रोटोकाल वर्शन 6 की अधिप्राप्ति और सिविल अनुरक्षण कार्य स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(A) "Geological Survey of India - Other Expenditure – Miscellaneous Major Expenditure on different Operations" – saving of ₹381.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2199.00 lakhs) was due to non-preference of bills of Supplies and postponement of procurement of Internet Protocol Version 6 and Civil Maintenance Work.

(खा) "खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य" - ₹150.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से संवर्धनात्मक परियोजनाओं के अंतर्गत अन्वेषण कार्य में कमी आने के कारण हुई।

(B) "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration – Mineral Exploration Work by Mineral Exploration Corporation Ltd." – saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to decrease in exploration work under promotional projects for want of administrative approval from the competent authority.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1990.62 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2853" - "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹1990.62 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2853" – "Geological Survey of India" - under the following heads:-

(का) “निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता” - ₹1314.62 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1222.97 लाख था।

(खा) “अनुसंधान और विकास - प्रयोगशाला अनुसंधान” - ₹246.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹220.85 लाख था।

(गा) “सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण” - ₹170.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹155.08 लाख था।

(घा) “खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज” - ₹260.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹253.01 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2853” - “खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो” के अंतर्गत भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹222.75 लाख का अधिक व्यय (₹272.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6583.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और वेतन, चिकित्साउ दावों और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹398.85 लाख) ₹280.46 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(A) “Direction and Administration - Administrative Support” – ₹1314.62 lakhs. Actual excess, however, was ₹1222.97 lakhs.

(B) “Research and Development-Laboratory Research” – ₹246.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹220.85 lakhs.

(C) “Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey” - ₹170.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹155.08 lakhs.

(D) “Mineral Exploration – Economic Minerals” – ₹260.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹253.01 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2853” – “Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines” – excess of ₹222.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6583.00 lakhs including supplementary grant of ₹272.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards salaries, medical claims and arrears of modified assured career progression scheme.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹398.85 lakhs) exceeded the overall savings of ₹280.46 lakhs.

Savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	355.00				
पु.	R.	-355.00		..	..	..

(I) ₹356.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹300.00 लाख अकेले "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹356.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹300.00 lakhs alone accounted for under "Mineral Exploration and Development – Other Expenditure- Geological Survey of India" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.